भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(120)

समक्ष म.प्र. राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प उज्जैन (म.प्र)

आर/निगरानी/मन्दसौर/स्टाम्प अधि/2018/01186 रिविजन प्रकरण क्रमांक /18

म.प्र. मत्सय महासंघ (सहकारी) मर्यादित,

द्वारा क्षेत्रिय प्रबंधक, गांधी सागर/मुख्यालय,

भदभदा रोड, भोपाल -------- रिविजनकर्ता

विरूद्ध

1. म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर

ऑफ स्टाम्प, जिला मंदसौर

2. रमेश कु. विश्वकर्मा आ. श्री वी.के.विश्वकर्मा,

निवासी– म.नं.193, विकास नगर, 14/4,

नीमच (म.प्र.) --------- रेस्पॉन्डेंटगण

श्री शैलेन्द्र शर्मा अधिवक्ता द्वारा कैम्प उज्जैन में आज दिनांक 24-1-18 प्रस्तुत। 24-1-18

रिविजन अंतर्गत धारा 56 (1) भारतीय स्टाम्प अधिनियम

यह कि रिविजनकर्ता ने एक रिविजन माननीय अपर आयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उत्तरदाता क्रमांक 1 द्वारा पारित आदेश दिनांक 30/05/1717 के विरूद्ध प्रस्तुत की थी, किन्तु माननीय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा रिविजनकर्ता की रिविजन इस आधार पर निरस्त कर दी कि उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल मे पुनरीक्षण चलने योग्य है, इस आधार पर रिविजन क्रमांक 1245/16–17 निरस्त कर दी गई, ऐसी दशा मे रिविजनकर्ता माननीय न्यायालय के समक्ष यह पुनरीक्षण याचिका अपर आयुक्त महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10/10/2017 जिसकी प्रतिलिपि दिनांक 12/12/2017 को प्राप्त हुई है, के विरूद्ध यह रिविजन 'निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत करता है:–

रिविजन के तथ्य

1. यह कि रिविजनकर्ता ने रेस्पॉडेंट क.2 को गांधी सागर जलाश्य जो कि मंदसौर/नीमच जिले में स्थित है। उक्त जलाश्य से

निरंतर.....2

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/मंदसौर/स्टाम्प अधि./2018/1186

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-3-2018	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर आफ स्टाम्प के आदेश दिनांक 30-5-2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 24-1-2018 को समय बाह्य प्रस्तुत की गई है । विलम्ब की माफी के लिए अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है । अपर आयुक्त के समक्ष गलत अपील प्रस्तुत करने में कितना समय लगा है, यह भी नहीं बताया गया है, जबकि आवेदक को विलम्ब की माफी के लिए अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर विलम्ब का कारण स्पष्ट करना चाहिए था । कलेक्टर आफ स्टाम्प के आदेश, जिसके विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई है, उसकी सत्यप्रतिलिपि भी प्रस्तुत नहीं की गई है । अत: यह निगरानी प्रथम दृष्टया समय बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है। अध्यक्ष	